R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - Ist
Paper - IInd
Constitutional Law
स्वतंत्रता का अधिकार

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद - 19(1-क) —

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं।

अर्थ एवं विस्तार :—

वाक् और अभिव्यक्ति का अर्थ है - शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उसे उद्घोषित कर सके। इस प्रकार इनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद - 19 में प्रयुक्त 'अभिव्यक्ति' शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर

देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार-पत्रों द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1-क) में 'जानने का अधिकार' भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से सम्बन्धित सूचनाएँ जानने का अधिकार भी आता है। केवल आपवादिक मामले में जब देश की सुरक्षा अथवा लोकहित में आवश्यक हो तभी उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार एक खुली सरकार होती है जिसके विषय में जानने का अधिकार जनता को होता है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है और वह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है। उस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्रकाशन की स्वतंत्रता। निसंदेह परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। इसमें दूसरों के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा संभव है।

इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' चार

Scanned with CamScanner

विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है—

(1) यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होती है, (2) सत्य की खोज में सहायक होती है, (3) व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है, और (4) यह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।

बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य के मामले में जो राष्ट्रगान मामले के नाम से प्रसिद्ध है, में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। इस मामले में केरल के एक स्कूल ईसाई समाज के जेहोवाज विटनेस समुदाय के स्कूल से कुछ छात्रों को इस कारण निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने निष्कासन के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी और निर्णय दिया कि राष्ट्रगान में गाना उनका मूल कर्तव्य था, अतः उसका निष्कासन विधिमान्य था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील फाईल की; जिसने उच्च न्यायालय के निनिश्चय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निष्कासन के आदेश द्वारा उनके अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

का उल्लंघन होता है; अतः अवैध है। अनुच्छेद
19 (1) (क) में चुप रहने का अधिकार भी निहित है।
इसके दूरगामी परिणामों को
देखते हुए सरकार ने इस निर्णय के
पुनर्विचारण के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कि